न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 168/2023

1. गोरधन
2. भोजराज

| पिसरान दीपा राम जाति जाट साकिन 13 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

3. नरेन्द्र कुमार
4. मोहनलाल

| पिसरान रामचन्द्र जाति जाट साकिन 13 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

5. राजेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट साकिन 13 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
6. पवन कुमार पुत्र भोजराज जाति जाट साकिन 13 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल साकिन 13 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
2. दलीप कुमार पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल साकिन 13 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
3. दयालाराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल साकिन 13 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. सीता राम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल साकिन 13 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
5. ताराचन्द पुत्र साहबराम जाति कुम्हार साकिन 18 एस पी डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ।

—अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री ओम प्रकाश अरोड़ा	— प्रार्थीगण
2.	श्री संजय चाण्डक	— अप्रार्थी सं. 1 ता 5
3.	राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।	— अप्रार्थी सं. 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:17:18 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय

दिनांक 3/6/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अधिवक्ता श्री ओम[illegible] अरोड़ा द्वारा प्रार्थीगण की दिनांक 18.9.2023 को प्रस्तुत किया गया जिसमें तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीगण का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है जिसमे कि वादीगण का सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थी सं. 1 के नाम चक 15 एस पी डी तहसील पीलीबंगा के प.नं. 166/39 के किला नं. 24, 25 व प.नं. 166/40 के किला नं. 2 ता 5 की कुल 1.392 खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं. 2 के नाम चक 13 एस पी डी–बी के प.नं. 166/46 के किला नं. 19 ता 22 की 1.012 हैक. व प्रार्थी सं. 3 व 4 की बहिस्सा बराबर चक 15 एस पी

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

डी के प. नं. 166/47 के किला नं. 3 ता 9, 11 ता 25 की 4.756 हैक. व 0.759 कुल 5.515 हैक. कृषि भूमि राजस्व दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त व प्रार्थी सं. 5 के नाम चक 15 एस पी डी के प.नं. 166/39 के किला नं. 6, 7, 11 ता 24 व प.नं. 167/41 के किला नं. 6 ता 9, 13, 14 की कुल 5.111 हैक. कृषि भूमि व प्रार्थी सं. 06 पवन कुमार के नाम चक 15 एस पी डी के प.नं.' 166/38 के किला नं. 16 ता 25 व प.नं. 166/39 के किला नं. 1 ता 5, 7 ता 9, प.नं. 166/47 के किला नं. 1, 2, 9, 10 की कुल 5. 338 हैक. व अप्रार्थी सं. 1 से 6 के नाम चक 13 एस पी डी–बी मे कृषि भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि जो कि सभी के नाम अलग अलग दर्ज है सयुक्त रूप से एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण काश्त की जा रही है तथा प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर सयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी अपने हक व हिस्से पर शांती पूर्वक बिना किसी विवाद के काश्त कर रहे है तथा उक्त भूमि पर करीबन 50 से अधिक वर्षो उनका व उनके बुजर्गो का कब्जा काश्त रहा है।

अप्रार्थी सं. 1 ता 6 जो कि वादीगण के खेत पडोसी है राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर प्रार्थीगण की कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी कर रहे है व चाहते है कि प्रार्थीगण की भूमि पर जानबूझकर कब्जा करके प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर दे अप्रार्थी सं. 5 ता 10 उच्चे प्रभाव वाले व्यक्ति है वे किसी भी तरह प्रार्थीगण की भूमि हडपना चाहते है ताकि प्रार्थीगण को नुकसांन हो और उन्हे अपनी भूमि से बेदखल कर दे इसलिए वे जान बुझकर कभी सींव बट का झगडा करते है व कभी किसी अन्य बात पर प्रार्थीगण से झगडा करने पर उतारू रहते है ताकि प्रार्थीगण को नुकसान पहुंच सके, वे राजस्व कर्मचारी से मिलकर प्रार्थीगण को उनके मुताबिक जमाबन्दी हक व हिस्सा से बेदखल करना चाहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि हडपना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण इस आशय का घोषणा पाने का अधिकारी है कि वे मुताबिक जमाबन्दी अपनी कृषि भूमि के मालिक है तथा उनके कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी न करे व मौका रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखें ताकि वाद विवाद ना हो सके। अप्रार्थीगण यदि उक्त कृषि भूमि किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपरिमेय क्षति होगी प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि से वंचित होना पडेगा इसलिए प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जा जाए कि की वे उक्त भूमि प्रार्थना पत्र की दफा 2 काश्त में दखलअन्दाजी न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखें इसलिए प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते है कि उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय व मुन्तकिल न करे व वादीगण की भूमि मै दखलअन्दाजी न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 के नाम चक 15 एस पी डी तहसील पीलीबंगा के प.नं. 166/39 के किला नं. 24, 25 व प.नं. 166/40 के किला नं. 2 ता 5 की कुल 1.392 खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं. 2 के नाम चक 13 एस पी डी–बी के प.नं. 166/46 के किला नं. 19 ता 22 की 1.012 हैक. व प्रार्थी सं. 3 व 4 की बहिस्सा बराबर चक 15 एस पी डी के प.नं. 166/47 के किला नं. 3 ता 9, 11 ता 25 की 4. 756 हैक. व 0.759 कुल 5.515 हैक. कृषि भूमि राजस्व दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त व प्रार्थी सं. 5 के नाम चक 15 एस पी डी के प.नं. 166/39 के किला नं. 6, 7, 11 ता 24 व प.नं. 167/41 के किला नं. 6 ता 9, 13, 14 की कुल 5.111 हैक. कृषि भूमि व प्रार्थी सं. 06 पवन कुमार के नाम चक 15 एस पी डी के प.नं.' 166/38 के किला नं. 16 ता 25 व प.नं. 166/39 के किला नं. 1 ता 5, 7 ता 9, प.नं. 166/47 के किला नं. 1, 2, 9, 10 की कुल 5.338 हैक. व अप्रार्थी सं. 1 से 6 के नाम चक 13 एस पी डी–बी मे कृषि भूमि के मालिक है तथा उनके कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी न करे व " उक्त कृषि भूमि अन्य व्यक्ति को रहन बैय न करें व मौका रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट कर दिनाक 18.09.23 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सनी गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्रावली अवलोकन व शपथ पत्र पर विश्वास [illegible] सुविधा व संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रति[illegible] गया कि चक 15 एस पी डी तहसील पीलीबंगा के प.नं. 166/39 के किला [illegible] के किला नं. 2 ता 5 की कुल 1.392 खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं. 2 के नाम चक 13 एस पी डी–बी के प.नं. 166/46 के किला नं. 19 ता 22 की 1.012 हैक. व प्रार्थी सं. 3 व 4 की बहिस्सा बराबर चक 15 एस पी डी के प.नं. 166/47 के किला नं. 3 ता 9, 11 ता 25 की 4. 756 हैक. व 0.759 कुल 5.51[illegible] कृषि भूमि राजस्व दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त व प्रार्थी सं. 5 के नाम चक 15 एस पी डी के प.नं. 166/39 के किला नं. 6, 7, 11 ता 24 व प.नं. 167/41 के किला नं. 6 ता 9, 13, 14 की कुल 5.111 हैक. कृषि भूमि व प्रार्थी सं. 06 पवन कुमार के नाम चक 15 एस पी डी के प.नं.' 166/38 के किला नं. 16 ता 25 व प.नं. 166/39 के किला नं. 1 ता 5, 7 ता 9, प.नं. 166/47 के किला नं. 1, 2, 9, 10 की कुल 5.338 हैक. खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा तक कि भूमि को रहन बैय अन्तरित न करें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:17:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बनाये रखे। प्रकरण में अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रर्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें तथ्य निम्नानुसर है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 1 में दर्ज यह कथन कि, प्रार्थीगण का वाद–पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है।' यहां तक स्वीकार है। शेष कथन केवल मात्र कयास के आधार पर दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 2 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से संबंधित है, जिन्हे दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर ही है। यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 3 में दर्ज कथन प्रार्थीगण से सबधित है एंव इस मद में दर्ज कथन अप्रार्थीगण से असबधित होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 4 में दर्ज कथन केवल मात्र प्रार्थीगण से सबधित है जिन्हे न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर ही है। इस मद में दर्ज कथन अप्रार्थीगण से असबंधित होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 5 में दर्ज समस्त कथन असत्य एंव काल्पनिक दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण बिना किसी ठोस आधार के एंव बिना किसी दस्तावेजी प्रमाणों के अप्रार्थीगण पर आरोप लगा रहे है। अपनी इस दुर्भावनापूर्ण मन्शा वशीभूत हुए प्रार्थीगण को यह भी ज्ञात नहीं रहा कि इस मद मे उनके द्वारा जो कम संख्या अंकित की गई है वे पक्षकार कौन है? और उनसे प्रार्थीगण यदि वास्तव में प्रभावित है तो उनके नाम क्यों नहीं अंकित किए? सारतः प्रार्थीगण केवल मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उनके विरूद्ध यह प्रकरण पेश किया है तथा एक तरफा तोर पर विधि–विरूद्व आदेश हासिल किया है जो खारीज योग्य है। जब कि वास्तविकता यह कि अप्रार्थीगण समस्त एकल खाते में अपनी थोडी–थोडी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। समस्त अप्रार्थीगण अपनी–अपनी कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण भू–राजस्व अधिनियम में प्रदत नियमों अनुसरण में अपनी–अपनी कृषि भूमि की माह अक्टुबर में पैमाईश करवाना चाहते थे। इस बात की जानकारी जब प्रार्थीगण को लगी तो कृषि भूमि की पैमाईश को रूकवाने की मन्शा से उक्त अनवान का वाद–पत्र / प्रार्थना–पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अनुचित आदेश हासिल किया है। प्रार्थीगण नेक नियत व्यक्ति नहीं है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 6 में दर्ज कथन पूर्णतयःअसत्य एंव मनगढ़त है। प्रार्थीगण ने अपनी इस मद में दर्ज कथनों की पुष्टि में ऐसा एक भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे कि उनके द्वारा इस मद में दर्ज कथनों की सत्यता प्रमाणित होती हो। इसलिए इस मद में दर्ज समस्त कथन पूर्णतयः अव्यावहारिक, असत्य एंव ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अंकित किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त अनवान का प्रार्थना–पत्र धारा–212 आर०टी०ए० में प्रदत प्रावधानों की अनदेखी करते हुए एंव असत्य, बिना ठोस दस्तावेजी प्रमाणों के एंव पूर्णतयः अव्यावहारिक रूप से प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण मय हर्जाना व खर्चा के खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया है जिसमें रास्ता खाला की सुविधा पैतृक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो नियमानुसार राज्यहित को ध्यान मे रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है का प्राप्त हुआ है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई श्री ओम प्रकाश अरोड़ा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि भूमि प्रार्थीगण द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि जो कि सभी के नाम अलग अलग दर्ज है सयुक्त रूप से एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण काश्त की जा रही है तथा प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर सयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी अपने हक व हिस्से पर शांती पूर्वक बिना किसी विवाद के काश्त कर रहे है अप्रार्थीगण उक्त भूमि में दखलअंदाजी कर करे है

अप्रार्थी अधिकवक्ता श्री संजय चाण्डक द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण केवल मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उनके विरूद्ध यह प्रकरण पेश किया है तथा एक तरफा तोर पर विधि–विरूद्व आदेश हासिल किया है जो खारीज योग्य है। जब कि वास्तविकता यह कि अप्रार्थीगण समस्त एकल खाते में अपनी थोडी–थोडी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। समस्त अप्रार्थीगण अपनी–अपनी कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण भू–राजस्व अधिनियम में प्रदत नियमों अनुसरण में अपनी–अपनी कृषि भूमि की माह अक्टुबर में पैमाईश करवाना चाहते थे। इस बात की जानकारी जब प्रार्थीगण को लगी तो कृषि भूमि की पैमाईश को रूकवाने की मन्शा से उक्त अनवान का वाद–पत्र / प्रार्थना–पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अनुचित आदेश हासिल किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:17:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पल्लूनगर

विज्ञ अधिवक्ता उभय पक्ष के प्रार्थना पत्र, जवाब व बहस एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त रिकॉर्ड का अध्ययन व मनन करने के उपरांत यह सपष्ट है कि सयुक्त रूप से एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण काश्त की जा रही है तथा प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है व सहकाश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता हस्तगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए में उपलब्ध उपचार /अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन, हानि या अंतरित किये जाने की स्थिति प्रकरण में उजागर नहीं होती है और न ही मामला सुविधा व संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है इसलिए अस्थाई व्यादेश दिनांक को अनवरत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है लिहाजा उक्त अस्थाई व्यादेश दिनांक 18.09.2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। संलग्न वाद पत्र रहे। यह आदेश आज दिनांक 3/6/24 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:17:18 IST
Reason: SelfAttested